

भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग

महत्वपूर्ण सूचना

विषय: कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी और वैद्युत) परीक्षा, 2024 के विकल्प-सह-वरीयता का प्रस्तुतीकरण ।

कृपया अभ्यर्थी दिनांक 28.03.2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी और वैद्युत) परीक्षा, 2024 की विज्ञप्ति का अवलोकन करें, जिसमें बताया गया है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा से पूर्व विकल्प-सह-वरीयता ली जाएगी ।

2. सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने पेपर- II दिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट अर्थात् <https://ssc.gov.in> पर अपने संबंधित 'अभ्यर्थी लॉगिन' के माध्यम से कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी और वैद्युत परीक्षा, 2024) के लिए पद/संगठन हेतु अपना विकल्प-सह-वरीयता प्रस्तुत करें, जिसमें **पद/संगठन के लिए विकल्प-सह-वरीयता प्रस्तुत करने की सुविधा माई एप्लीकेशन टैब के अंतर्गत उपलब्ध होगी, जो 09.12.2024 (सायं 05:00 बजे) से 13.12.2024 (रात्रि 11:59 बजे) तक की अवधि के दौरान सक्रिय रहेगी ।** इसके अलावा, विकल्प-सह-वरीयता प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी के पंजीकृत ईमेल पर एक पुष्टिकरण ईमेल भी भेजा जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा पद/संगठन के लिए विकल्प-सह-वरीयता का प्रत्यक्ष प्रस्तुतीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. अभ्यर्थी कृपया यह भी ध्यान दें कि विकल्प-सह-वरीयता केवल उपरोक्त अवधि के दौरान ही संशोधित की जा सकती है और अभ्यर्थी द्वारा अंतिम बार प्रस्तुत विकल्प-सह-वरीयता को अंतिम माना जाएगा। **अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त अवधि के दौरान अपने विकल्प-सह-वरीयता का प्रयोग करने में विफल रहते हैं, उन्हें अपने विकल्प-सह-वरीयता को प्रस्तुत करने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट सूची/अंतिम चयन में शामिल करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।** इसलिए, जो अभ्यर्थी पेपर-II में उपस्थित हुए हैं, उन्हें कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिकी और वैद्युत) परीक्षा, 2024 में अंतिम मेरिट सूची/अंतिम चयन में अपनी अभ्यर्थिता पर विचार करने के लिए अनिवार्य रूप से अपने विकल्प-सह-वरीयता का प्रयोग करना होगा।

4. **बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे केवल उन्हीं पदों को वरीयता दें जिनको उनकी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त माना गया है (परीक्षा विज्ञप्ति के पैरा 5.1 का संदर्भ लें)।** परीक्षा विज्ञप्ति में निहित प्रावधानों के अनुसार 'पदों के लिए योग्यता-सह-वरीयता' के आधार पर पदों का आवंटन किया जाएगा। यदि दिव्यांग अभ्यर्थी किसी ऐसे पद के लिए चयनित हो जाता है जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है तो प्रयोक्ता संगठन द्वारा उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी ।

5. यह पुनः बताया जाता है कि अभ्यर्थियों को ऊपर बताई गई तिथियों के बाद विकल्प-सह-वरीयता का प्रयोग करने के लिए कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी रूप में जैसे डाक, फैक्स, ईमेल, दस्ती आदि प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उसे तत्काल खारिज कर दिया जाएगा।

अवर सचिव, भारत सरकार

09.12.2024
